

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

यहाँ है संख्या 1
यहाँ है संख्या 11

केंद्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m. env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/32/2015/एफ.सी. /1055

दिनांक: 11/12/15

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
वायु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: फिरोजाबाद जनपद में शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 4-5 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम कंथरी के खसरा संख्या-820, 821/1, 822/2 पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी75/14-2-2015-800(82)/2015, दिनांक-10.11.2015

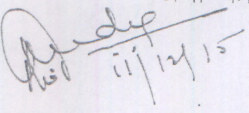
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी024/14-2-2015-800(82)/2015, दिनांक- 12.08.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सगसंख्यक पत्र दिनांक- 15.09.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना वाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार फिरोजाबाद जनपद में शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 4-5 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम कंथरी के खसरा संख्या-820, 821/1, 822/2 पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0री0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एरा0बी0-25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, में जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति

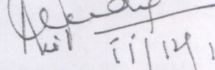

11/12/15

सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.32 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।
5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

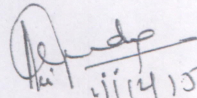


(बृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनगहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, उ० प्र०।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद, उ० प्र०।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एस्सार ऑलय लि०, बी-2/373, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रभावली



(बृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक {केन्द्रीय}